

69

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : बी.एम. शर्मा,

सदस्य

दो/निगरानी/भिण्ड/स्टा.अ./2017/6256 विरुद्ध आदेश दिनांक 03.10.2017
पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प भिण्ड प्रकरण क्रमांक 58/सी-132/16-17

देवीशंकर शुक्ला पुत्र चक्रेश शुक्ला, आयु 36 वर्ष
जाति ब्राम्हण व्यवसाय सेवाप्रदाता, ग्राम मेंहगांव
तहसील मेंहगांव जिला भिण्ड (म.प्र.)

.....आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम.पी. भटनागर
अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा

आदेश

(आज दिनांक...24.10.17.....को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प भिण्ड के प्रकरण क्रमांक
58/सी-132/16-17, संपदा एप्लीकेशन पर दर्ज केस नं. 00313209201712491
में पारित आदेश दिनांक 03.10.2017 के विरुद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम,
1899 (जिसे आगे स्टाम्प एक्ट कहा जाएगा) की धारा-56 के तहत पेश की गई
है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा नॉन
ज्यूडीशियल ई-स्टाम्प वापिसी हेतु एक आवेदन संपदा एप्लीकेशन के माध्यम से
दिनांक 09.09.2017 को ऑनलाइन आवेदन कर प्रेषित किया गया। जिस पर

✓

कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने स्टाम्प एक्ट की धारा 49, 50 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गई। जिस पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने अपने आदेश दिनांक 03.10.2017 द्वारा आवेदक का उक्त आवेदन अवधि वाह्य होने से निरस्त किया गया। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी के मुख्य आधार यह हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते समय ई-स्टाम्प का उद्देश्य जब पूर्ण नहीं हुआ था तो वह निगरानीकर्ता ई-स्टाम्प में भुगतान की गई राशि वापिस प्राप्त करने का अधिकारी था जो न दिए जाने में कानूनी भूल की है।


उनके द्वारा यह भी कहा गया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते समय अवधि बिन्दु का गलत रूप से दुरुपयोग कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है जबकि अवधि बिन्दु पर उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए उसके द्वारा आवेदन को गलत रूप से अवधि वाहर मान्य किया गया है ऐसा आदेश तत्काल निरस्ती योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते समय स्टाम्प एक्ट की धारा 50 (2,3) पर बिना विचार किए आवेदन अवधि वाहर मान्य करने में कानूनी त्रुटि की गई है।

4. अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि नॉन ज्यूडीशियल ई-स्टाम्प दिनांक 07.07.2017 को जनरेट व निष्पादित किया गया तथा ई-स्टाम्प राशि रिफण्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन आवेदक द्वारा दिनांक 09.09.2017 को किया गया। जो अवधि वाह्य है। उक्त आधार पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया गया। अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा 1,71,990/- रुपये के नॉन ज्यूडीशियल ई-स्टाम्प दिनांक 07.07.2017 को जनरेट किए गए थे। तथा उनके द्वारा ई-स्टाम्प राशि रिफण्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 09.09.2017 को किया गया। जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 50 (1) के तहत निर्धारित समय सीमा (दो माह) में नहीं किया गया। आलोच्य आदेश को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि सम्पदा एप्लीकेशन पर आवेदक द्वारा ऑनलाइन ई-स्टाम्प रिफण्ड का आवेदन करने पर उक्त वर्णित ई-स्टाम्प कोड स्वतः ही निष्क्रिय किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 50(1) के (घ-5) के अनुसार आदेश पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी अस्वीकार की जाती है।


(बी.एम. शर्मा)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर

